न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री हरि राम मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
32/2023	**FSS ACT**	26.07.2023	28.01.2026

1. श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर

–आवेदक

बनाम

1. श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री रामस्नेही त्यागी मैसर्स – कृष्णा फूड प्रोडक्टस, जी–78 रीको एण्ड एरिया धौलपुर

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/52, 64 ,एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.01.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/52, 64 न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया कि आवेदन के अनुसार आवेदक श्रीमान अभिहित अधिकारी धौलपुर के निर्देशानुसार सायं 5 बजे धौलपुर बस स्टेण्ड के पास पहुंचा, जहां पर मैसर्स कृष्णा फूड प्रोडक्टस धौलपुर के मालिक/विक्रेता के कब्जे में 16 पेटी मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) रखा हुआ था मौके पर प्रशासन के सदस्य मौजूद थे व विक्रेता उक्त खाद्य पदार्थ को विक्रय करने हेतु लेजा रहा था विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे तो उसने अपना नाम श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री रामस्नेही त्यागी मैसर्स – कृष्णा फूड प्रोडक्टस, जी–78 रीको एण्ड एरिया धौलपुर बताया एवं लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन दिखाने हेतु कहा तो उन्होने खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा पत्र मौके पर दिखाया। निरीक्षण के दौरान मौके पर रखे 16 पेटी प्रत्येक पेटी लगभग 27 किलोग्राम कुल 436 किलोग्राम डिब्बों में पैक मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखा हुआ था। इस मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) का नमूना वास्ते जांच देने हेतु कहा और विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5(ए) के देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहन के हस्ताक्षर कराकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। उक्त 436 किलो मिल्क केक में से 02 किलोग्राम मिल्क केक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री रामस्नेही त्यागी को रू. 240/– (दो सौ चालीस

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) को प्रत्येग बोतल मे बराबर–बराबर भरा एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलिन की 20–20 बूंदें डालकर बोतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किये गये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी 2665 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 डी 2665 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से ऊपर की ओर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को चारों ओर से धागे से बांध कर नियमानुसार चार–चार जगह ऊपर, नीचे, दाये, बांये, सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर व आधे खाकी कागज पर आवें, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर नमूना विवरण लिखकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढ़कर सुनाकर, समझाकर श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री रामस्नेही त्यागी के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहो के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 vi की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 vi की एक प्रति के एक खाकी कागज मे लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयक आवेदन के साथ संलग्न है। फार्म संख्या vi की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या vi की पुस्त पर अंकित है। सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म संख्या vi की दो प्रतियों के एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी.ओ. कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। नमूने के शेष चौथे भाग एवं फार्म संख्या vi की एक प्रति एक खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनो को गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/141 दिनांक 23.12.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट एलएस/1195/एक्ट/2022/1196 दिनांक 08.12.2022 के अनुसार वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया स्पेशल मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) मिथ्याछाप (Misbrand) प्रकृति का पाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्त ने मिथ्याछाप (Misbrand) खाद्य पदार्थ मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 व 64 में जुर्माने योग्य अपराध है अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान की समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाये।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया।

अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए कथन पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। अभियुक्त ने अपने कथन में निवेदन किया है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थी के विरूद्ध मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) के सैंपल का प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011 श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त सैंपल एफ0एस0एल0 की जांच रिपोर्ट के अनुसार मिथ्याछाप (Misbrand) का होना पाया है। अप्रार्थी ने जानबूझकर अपने स्तर पर उक्त खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नहीं की है। फिर भी अप्रार्थी प्रकरण में अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करता है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अप्रार्थी जुर्माना जमा कराने को तैयार है। अतः प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

हमने पैरोकार सरकार व अभियुक्त को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न **PUBLIC HEALTH LABORATORY BHARATPUR (RAJ)** की **REPORT NO.L.S./1195/Act/2022/1196 DATE 08-12-2022** का अवलोकन किया गया उक्त रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

"Opinion- The sample of **'Mix cake (Gwal Gopal Brand)'** bearing code & serial No. **D-2665** of Designated Officer Cum Chief Medical & Health Officer, Dholpur is **Misbranded** under section **3(1)(zf)(c)(i)** of food Safety and Standards Act, 2006

अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Misbrand) मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंधन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिथ्याछाप (Misbrand) मिल्क केक (ग्वाल गोपाल) बेचने का दोषी है जो धारा 52 व 64 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्रीनिवास त्यागी पुत्र श्री रामस्नेही त्यागी मैसर्स – कृष्णा फूड प्रोडक्टस, जी–78 रीको एण्ड एरिया धौलपुर के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 64 के तहत 65000/–रुपये (पेंसठ हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की

Scanned with OKEN Scanner

अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **28.01.2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner